an>

Title: Need to refund investors' money by P.A.C.L, a Pearl Group Company as per the orders of the Supreme Court.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर)ः भारत वर्ष में सन 1983 से काम कर रही पर्ल्स समूह की 1996 में शुरू हुई पी.ए.सी.एल. लिमिटेड रियल स्टेट में भूखंड देने के नाम पर देश भर में किश्त भुगतान एवं एकमुश्त योजनाएं चला रही थी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के एम.सी.ए. एवं डी.एस.ए. डिपार्टमेंट में है। उक्त कंपनी के चेयरमैन निर्मल सिंह भंगु हैं। पी.ए.सी.एल. लिमिटेड में देशभर के 6 करोड़ निवेशकों का 49,100 करोड़ रूपये जमा है।

इस पर 2012-13 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं सी.बी.आई. के द्वारा इसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। इस दौरान इस कंपनी के पास 1,85,000 करोड़ की संपत्ति पूरे भारत देश में है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय ने छः माह के अंदर निवेशकों का पैसा फरवरी, 2016 तक वापस किया जाए, का आदेश दिया एवं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट आर.एम. लोढा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और कहा कि कंपनी की सभी संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाए।

किन्तु आज 7 माह बीत जाने के बाद भी सेबी एवं लोढ़ा कमेटी के द्वारा पैसा देना प्रारंभ नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर के कोटा विधान सभा क्षेत्र से 10,000 से ज्यादा लोग निवेशक हैं जिनका 18 करोड़ रूपये निवेश उक्त कंपनी ने कराया है। इस मामले से आर.एन. लोढ़ा समिति को अतिशीघ्र अवगत कराये जाने की आवश्यकता है।